(14)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

दायर दिनांकः— 23.04.2025

प्रकरण संख्या 04 / 2025

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

लालवीर पुत्र मोडूलाल जाति मीना निवासी दण्डछत्रपुरा तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज। — रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक :— 27.05.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत तहसीलदार किशनगंज के प्रकरण संख्या 492 / 2025 निर्णय दिनांक 22.02.2025 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम दण्डछत्रपुरा की आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 0.30 हैक्ट. किस्म चारागाह पर अतिकमी मानकर 135/— रूपये जुर्माना, फसल कीमत एवं बेदखली के आदेश दिये हैं तथा पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 15 दिन की सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई।

अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, न ही उसे कभी बेदखल किया गया है। पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अपीलांट को दोषी न होते हुए भी अतिकमी मानकर व सजायाब करके भारी भूल व न्याय का हनन किया है तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रकिया व कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है, न ही उक्त आराजी का मौका निरीक्षण किया गया है और न ही कोई स्वतंत्र गवाही ली गई है। पश्चातवर्ती होने का कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त फरमावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया जिसमें पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने हेतु विवादग्रस्त आराजी से बेदखली के आदेश एवं बेदखलीनामा की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है एवं स्वतंत्र गवाहों के बयान भी संलग्न नहीं हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा अतिकमित आराजी से अपना कब्जा छोड दिया हो तथा तावान राशि जमा करा दी हो। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)